संख्या-006/एम.एस.सी/038
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 01.02.2010

कार्यालय आदेश सं - 05/02/10

विषय: बैंक, वाणिज्य तथा वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में परामर्शी बोर्ड का गठन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निर्णय करने वाली प्रक्रिया में शामिल जटिलताओं को ध्यान में रखने के बाद, दिनांक 26.02.99 को बैंक धोखाधड़ियों पर एक केन्द्रीय परामर्शी बोर्ड का गठन किया था, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में वित्तीय/वाणिज्यक धोखाधड़ियों को कवर करने के लिए इसकी कार्यात्मक अधिकारिता को बढ़ाने के पश्चात इसका नाम बाद में बदलकर बैंक, वाणिज्य तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर परामर्शी बोर्ड रखा गया था । बोर्ड का गठन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मुख्यत: सलाह देने के लिए किया गया था कि क्या एक मामले में, जहां संबंधित संगठन तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मध्य मतभेद था, वहां उधार खातों (borrowal accounts) में धोखाधड़ी के संबंध में पीई/आरसी को पंजीकृत करना चाहिए अथवा नहीं ।

2. दिनांक 30.06.2009 को वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर, आयोग, बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है ।

श्री जानकी वल्लभ, भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग	अध्यक्ष
श्री विठ्ठलदास लीलाधर, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
श्री रवि कमल भार्गव, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)	सदस्य
श्री आर. श्रीकुमार, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त)	सदस्य
श्री मुकुंद चिताले, चार्टर्ड एकाउन्टेंट (chartered accountant)	सदस्य
श्री वी. सांथानारामन, भूतपूर्व-कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा	सदस्य

3. सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 01.02.2010 से दो वर्षों की अवधि तक का होगा । नियुक्ति की अन्य शर्तें अनुबन्ध-1 में दर्शाए अनुसार होंगी । (यदि नामित सदस्य भारत सरकार, किसी भी राज्य/भारतीय संघ शासित क्षेत्र की सरकार अथवा भारत सरकार/किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश के नियंत्रणाधीन अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी, सोसायटी अथवा स्थानीय प्राधिकरणों में मासिक आय वाली नियमित नियुक्ति/लाभ का पद दिनांक 01.02.2010 को धारण किए हुए हैं तो बोर्ड के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति उस दिन के अनुवर्ती दिन से मानी जाएगी जिस दिन से उन्होंने उस कार्यालय/पद से कार्यभार छोड़ा है जो उनके पास है, बोर्ड के सदस्य पद के अलावा)

4 बोर्ड का स्थान मुंबई में ही बना रहेगा, परंतु बोर्ड अपनी सुविधा के अनुसार भारत में कहीं भी बैठक कर सकता है । पहले के अनुसार, यह बोर्ड केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की संगठनात्मक अवसंरचना का हिस्सा बनेगा तथा भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक निधि सहित आवश्यक अन्वेषण तथा सचिवालय सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।

5. बोर्ड की अधिकारिता उन मामलों तक सीमित रहेगी जहां बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा वित्तीय संस्थान के साथ असहमति अथवा मतभेद होते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो निम्न धोखाधड़ी के आरोप के संबंध में आरसी/पीई दर्ज करना चाहती हो ।

क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में उधार खाते (borrowal account) में; अथवा

ख) वित्तीय संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वित्तीय अथवा वाणिज्यक धोखाधड़ी

6. उपर्युक्त से पृथक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बोर्ड को भेजे गए किसी भी तकनीकी मामले पर बोर्ड़ सलाह भी दे सकता है ।

7. वर्ष में उठने वाले ऐसे विवादों की सीमित संख्या पर विचार करते हुए, इस समय, आयोग उन स्तरों का उल्लेख करना उचित नहीं समझता जिनसे ऊपर बोर्ड को संदर्भ भेजा जा सकता है । अत: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, संबंधित संगठन के साथ मतभेद होने की स्थिति में, उपर्युक्त वर्णित को ध्यान में रखते हुए, किसी भी मामले को बोर्ड को भेज सकती है भले ही मामले में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों का स्तर कुछ भी हो ।

8. परामर्श तथा साचिविक सहायता के लिए नामावली, कार्य, अवधि, सुविधाएं, अवसंरचना(infrastructure) तथा तंत्र (mechanism) वही रहेंगे जैसा कि आयोग के दिनांक 08.08.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं0 99/वीजीएल/54 में उल्लिखित हैं ।

ह0/-
(के.एस. रामसुब्बन)
सचिव

संलग्न: यथा उपर्युक्त

सेवा में

1. बैंक, वाणिज्य तथा वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में परामर्शी बोर्ड के अध्यक्ष ।
2. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।
3. गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ।
4. सचिव, वित्तीय सेवाएं, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार ।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/वित्तीय संस्थानों के सभी मुख्य कार्यकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
6. अध्यक्ष, स्कोप ।

अनुबन्ध-I

बैंक, वाणिज्य तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर केन्द्रीय परामर्शी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें ।

1. अवधि

नियुक्ति की अवधि दिनांक 01.02.2010 से दो वर्षों की होगी । (यदि कोई सदस्य लाभ के पद पर नियुक्त हैं/भारत सरकार, किसी भी राज्य की सरकार/भारतीय संघ शासित क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी, बोर्ड तथा स्थानीय प्राधिकरण के साथ मासिक आय पर दिनांक 01.02.2010 से नियमित नियुक्त हैं, बोर्ड के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति उस दिन के अनुवर्ती दिन से मानी जाएगी जिस दिन से उन्होंने उस कार्यालय/पद से इस्तीफा दिया है जो बोर्ड के सदस्य के अलावा उनके पास है) ।

2. मानदेय

सदस्य, प्रत्येक माह 22,500/- रू0 (केवल बाईस हजार पांच सौ रू0) का मानदेय पाने के हकदार होंगे ।

3. बैंक कार का उपयोग

क) आवास से परामर्शी बोर्ड के कार्यालय के मध्य आने-जाने के लिए यात्रा तथा अन्य सरकारी यात्राओं के लिए अथवा उपर्युक्त के बदले में 1200/- रू0 प्रति माह की एक समान दर से वाहन भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

4. यात्रा तथा विराम भत्ता

रिजर्व बैंक नियमावली के अनुसार जो बैंक के वरिष्ठ कार्यकारियों को लागू हैं ।

5. बैठक शुल्क

परामर्शी बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए केवल 3000/- रू0 (तीन हजार रू0) ।